बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(तिरहुत प्रमंडल)–04/2025...2010... पटना, दिनांक :– 16/06/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 177 दिनांक 06.03.2026 द्वारा श्री किशन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN07467) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 04.11.2024 से लगातार अनुपस्थित हैं, जिस संदर्भ में शिविर प्रभारी द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में अस्वस्थ्य रहने की बात अंकित करते हुए स्वस्थ्य होने में 05 से 06 महिने लगने का उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि पर्याप्त समय देने के बाद भी इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है। पुनः इनसे स्पष्टीकरण करने पर 03 से 04 माह में पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1026 दिनांक 24.03.2026 द्वारा श्री कुमार से 07 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद 02 माह की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। चूंकि श्री कुमार लगभग डेढ़ साल की लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं, जिस संदर्भ में बंदोबस्त कार्यालय से बार–बार इनसे किए गए स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में इनके द्वारा बार–बार स्वस्थ्य होने में समय लगने की बात अंकित की जा रही है, परन्तु पर्याप्त समय देने के बाद भी इनके द्वारा योगदान नहीं किया जा रहा है। यदि ये अस्वस्थ्य हैं, तो इनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे इनके स्पष्टीकरण की सत्यता प्रमाणित नहीं हो रही है। निदेशालय स्तर पर भी इनसे साक्ष्य की मांग की गयी है, परन्तु 02 माह बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं। श्री कुमार डेढ़ साल से अनुपस्थित हैं एवं बार–बार समय की मांग की जा रही है, परन्तु कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया जा रहा है, जिसके आलोक में इन्हें अवसर दिया जा सके। यदि इन्हें अवसर दिया जाता है, तो इसका प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत श्री किशन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN07467), बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

15/06/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(तिरहुत प्रमंडल)–04/2025 2010 **पटना, दिनांक** : 16/06/2026

प्रतिलिपि :– श्री किशन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN07467), बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

Suharshe 15/06/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(तिरहुत प्रमंडल)–04/2025 2010 **पटना, दिनांक** : 16/06/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharshe 15/06/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(तिरहुत प्रमंडल)–04/2025 2010 **पटना, दिनांक** : 16/06/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Suharshe 15/06/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप